शिक्षा का अधिकार

समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र/राशिके/पापु/2025 2082 भोपाल, दिनांक 12/9/25

प्रति,

1. प्राचार्य डाइट
   समस्त जिले (म.प्र.)

2. जिला परियोजना समन्वयक
   जिला शिक्षा केन्द्र
   समस्त जिले (म.प्र.)

विषयः–बालवाटिका कक्षाओं में समग्र प्रगति पत्रक को भरने हेतु प्रथम आंकलन (बाल मेला) दि. 23.9.25 से संबंधित।

वर्ष 2024–25 से प्रदेश के चयनित 4473 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु बालवाटिका कक्षाओं अरूण, उदय, प्रभात संचालित है। इन कक्षाओं में बच्चों के आंकलन हेतु समग्र प्रगति पत्रक पूर्व में उपलब्ध कराए जा चुके है। समग्र प्रगति पत्रक बच्चों के समग्र विकास को मापने–समझने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का टूल है।

- समग्र प्रगति पत्रक को वर्ष में तीन बार भरा जाना है– पहला आंकलन सितम्बर, दूसरा दिसम्बर, एवं तीसरा मार्च 2026 में किया जायेगा। राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र/पापु/ईसीसीई/2025/1287 भोपाल, दिनांक 03.07.2025 द्वारा विस्तृत दिशा –निर्देश जारी किये गये है।
- समग्र प्रगति पत्रक को भरने का **प्रथम आंकलन (बाल मेला) दिनांक 23 सितम्बर 2025** को विद्यालयों में आयोजित किया जाये।
- बाल मेला के दिन पालकों/अभिभावकों को आमंत्रित कर उनके सामने प्रगति पत्रक में दी गई गतिविधियाँ आयोजित करते हुये बालमेला का आयोजन किया जाए।
- पालकों/अभिभावकों को आमंत्रित करने हेतु उन्हें कार्यक्रम से तीन से चार दिन पूर्व सूचना प्रदान की जाना होगी। यह सूचना वाट्सएप संदेश, फोन कॉल, व्यक्तिगत संपर्क, बच्चों के माध्यम से दी जा सकती है, जिससे अधिक से अधिक माता–पिता/अभिभावक बाल मेले में सहभागिता कर बच्चों की प्रगति से अवगत हो सकें।
- डाइट अकादमिक सदस्य, एपीसी, बीएसी/जनशिक्षक उक्त दिवस बाल मेला दिवस पर न्यूनतम तीन शालाओं का अवलोकन अनिवार्य रूप से करें।
- प्रथम आंकलन (बाल मेला) के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु **दिनांक 19.09.2025 को समय सायंकाल 4:00 PM यूट्यूब लाइव कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसकी लिंक वाट्सएप ग्रुप पर शेयर की जायेगी, जिसे ईसीसीई कक्षाओं के शिक्षकों एवं जनशिक्षकों को अनिवार्यतः प्रेषित की जाय।** यूट्यूब लाइव में प्राचार्य डाइट, डीपीसी, एपीसी, बीआरसीसी, डाइट अकादमिक सदस्य, बीएसी/सीएसी, ईसीसीई विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं ईसीसीई कक्षाओं के प्रभारी शिक्षक अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगें।

अतः उपरोक्तानुसार बालमेला के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

11/9/25

(शीतांशु शुक्ला)
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द, भोपाल

क्र/राशिके/पापु/2025 2083 भोपाल, दिनांक 12/9/25

प्रतिलिपि,

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, समस्त जिलें म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिलें म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
6. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, भोपाल, कृपया यूट्यूब लाइव हेतु पीपीटी का निर्माण एवं सम्मिलित होने विषयक सूचनार्थ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11/9/25

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द, भोपाल